[2021] 7 एस. सी. आर 300

भारत और ओआरएस का संघ।

वी.

पूर्व. स्थिर राम करण

(सिविल अपील सं. 6723 2021 का)

11 नवंबर, 2021

[अजय रस्तोगी और अभय एस. ओका, जे. जे.]

सेवा कानूनः विभागीय पूछताछ-सजा की मात्रा-न्यायिक समीक्षा-तथ्यों पर, सिपाही के खिलाफ आरोप

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपील में अपीलीय प्राधिकरण था, जो अपराधी कर्मचारी को दी जाने वाली सजा की प्रकृति तय करने के लिए था - ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता, न्यायालयों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के कार्य को ग्रहण करने और हड़पने के लिए खुला नहीं है-यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा लगाई गई सजा हैरान करने वाली पाई जाती है

न्यायालय की अंतरात्मा, आम तौर पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण को जुर्माना लगाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए-सजा की मात्रा पर न्यायिक समीक्षा का दायरा केवल तभी उपलब्ध होता है जब लगाया गया जुर्माना प्रतीत होता है

कदाचार की प्रकृति के लिए आश्चर्यजनक रूप से असंगत होना जिस पर अदालतें नाराज़ होंगी-ऐसे मामले में भी, दंड आदेश को दरकिनार करने के बाद, यह निर्णय लेने के लिए अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाना चाहिए और यह अदालत पर नहीं है कि वह सजा की मात्रा निर्धारित करके अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करे-हालाँकि, यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहाँ अदालत सजा के स्थान पर सजा की मात्रा के बारे में अपने विचार को प्रतिस्थापित कर सकती है, वह भी ठोस कारण निर्धारित करने के बाद-उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप दंड का निष्कर्ष दर्ज करते समय बेपरवाह तरीके से होता है।

ध्यान में रखे बिना असमान होना प्रतिवादी द्वारा किए गए दुराचार की गंभीरता जो

300 भारत और ओआरएस का संघ। वी. पूर्व. स्थिर राम करण

अक्षम्य है और कानून में टिकाऊ नहीं है-उच्च न्यायालय ने अनदेखी की 1949 के अधिनियम की योजना, इस प्रकार, सजा को प्रतिस्थापित करने में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप अस्थिर है और इसे दरकिनार कर दिया गया है -

सेवा से हटाना और बर्खास्त करना-आयोजित के बीच का अंतर: दोनों एक ही पायदान पर खड़े हैं और दोनों समाप्त करते हैं नियोक्ता/कर्मचारी का संबंध-दोनों के बीच केवल यह अंतर है कि बर्खास्तगी के मामले में, यह कर्मचारी को सरकार में भविष्य में रोजगार पाने से रोकता है, जबकि हटाने के मामले में, वह भविष्य में किसी भी रोजगार से अयोग्य नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस अधिनियम, 1949 की धारा 11 की योजना में आदेश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी, उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, निम्नलिखित के बदले में पुरस्कार दे सकता हैः या इसके अलावा, यदि बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में कदाचार का दोषी पाया जाता है तो किसी एक या अधिक सजा को निलंबित या बर्खास्त कर दिया जाता है। धारा 11 (1) में दिखाई देने वाले 'निलंबन या बर्खास्तगी के बदले या उसके अलावा' शब्दों का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उसमें उल्लिखित अधिकारी सशक्त हैं।

बल के सदस्य को, जो दोषी पाया जाता है, निलंबन या बर्खास्तगी की सजा देने के लिए और खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित सजा के अलावा या उसके बदले में भी दी जा सकती है। [पैरा 15,16] [313-बी-डी]

1.2 अधिक जघन्य अपराध या कम जघन्य अपराध

यदि बल का सदस्य दोषी पाया जाता है तो कारावास की सजा का प्रावधान करें। साथ ही, धारा 11 स्पष्ट और असंदिग्ध है और उन मामूली दंडों को विहित करती है जो सक्षम प्राधिकारी अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) के खंड (ए) से (ई) के तहत निर्दिष्ट बल के सदस्य को किसी एक या अधिक दंड के निलंबन या बर्खास्तगी के बदले में विभागीय जांच में दे सकते हैं, भले ही सदस्य पर धारा 9 या धारा 10 के तहत किसी अपराध के लिए मुकदमा न चलाया गया हो।

अधिनियम से। [पैरा 17] [313-डी-ई] 1.3 सेवा से हटाना और बर्खास्तगी एक ही आधार पर होती है और दोनों ही नियोक्ता/कर्मचारी के रिश्ते को समाप्त कर देते हैं। दोनों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि बर्खास्तगी के मामले में, [2021] 7 एस. सी. आर.

जबकि सरकार हटाने के मामले में, वह भविष्य के किसी भी रोजगार से अयोग्य नहीं है। केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस नियम 1955 की योजना के नियम 27 से जुड़े स्पष्टीकरण के आधार पर, नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बल के किसी सदस्य की बर्खास्तगी उसे फिर से नियुक्त होने से रोकती है। सरकारी सेवा में, जबकि बल से ऐसे किसी सदस्य को हटाना सरकार के तहत किसी भी भावी रोजगार (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में रोजगार के अलावा) के लिए अयोग्यता नहीं होगी। [पैरा 18] [313-एफ-जी]

उनके खिलाफ नियम 1955 के नियम 27 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद उनके खिलाफ आयोजित विभागीय जांच में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा साबित किया गया था। इस तरह सेवा से हटाने की मामूली सजा की प्रकृति बर्खास्तगी के अलावा हो सकती है जैसा कि अधिनियम 1949 की धारा 11 के तहत प्रदान किया गया है। अधिनियम 1949 की धारा 11 पूरी तरह से लागू की गई है।

उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की जांच करते हुए अनदेखी की गई कि क्या सेवा से हटाने की सजा बल के सदस्य को सेवा से बर्खास्त करने के बदले में या उसके अलावा दी जा सकती है, यदि अनुशासन के दौरान कदाचार साबित होता है।

जांच के बाद और विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। [पैरा 19,20] [313-एच; 314-ए-सी]

1.5 प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति हैः

वास्तव में गंभीर प्रकृति का है क्योंकि प्रतिवादी ने न केवल डॉक्टर-शिकायतकर्ता को धमकी दी है, बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और दुर्व्यवहार किया है और घायल किया है और उसके खिलाफ अपनी पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए हैं। कदाचार की ऐसी प्रकृति जो प्रतिवादी द्वारा एक बार साबित होने के बाद की गई है अक्षम्य और यदि प्राधिकरण ने उसे एक आदेश द्वारा सेवा से हटाने के दंड के साथ दंडित करना उचित समझा है और अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में पुष्टि की है, तो सेवा में प्रतिधारण के लिए कोई सहानुभूति नहीं छोड़ता है और वह भी सीआरपीएफ जैसे अनुशासन बल में। [पैरा 21] [314-सी-ई]

1.6 कानून का अच्छी तरह से अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपील में अपीलीय प्राधिकरण है, जो भारत और ओआरएस का संघ है।

वी. पूर्व. स्थिर राम करण

अपराधी कर्मचारी को दी जाने वाली सजा की प्रकृति तय करना है। दुराचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए

1.7 यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा विवेक के लिए चौंकाने वाली पाई जाती है न्यायालय के, आम तौर पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को प्रश्न पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए

दंड का अधिरोपण। सजा की मात्रा पर न्यायिक समीक्षा का दायरा उपलब्ध है लेकिन सीमित दायरे के साथ। यह तभी होता है जब लगाया गया जुर्माना चौंकाने वाला प्रतीत होता है।

कदाचार की प्रकृति के लिए असंगत है कि अदालतें

सिर हिलाते हैं। ऐसे मामले में भी, दंड आदेश को रद्द करने के बाद, यह निर्णय लेने के लिए अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाता है और यह न्यायालय के लिए नहीं है कि वह अपने निर्णय को इस प्रकार प्रतिस्थापित करे -

सजा की मात्रा निर्धारित करना। हालांकि, यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां अदालत मुकदमेबाजी को छोटा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा के स्थान पर सजा की मात्रा के बारे में अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने के बारे में सोच सकती है, वह भी ठोस कारण निर्धारित करने के बाद। [पैरा 23] [314 एफ-एच; 325-ए-बी]

1.8 तत्काल मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने सजा में हस्तक्षेप करने में गलती की, जो कानूनी रूप से हो सकती है

उनके सिद्ध कदाचार के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा लगाया गया। उच्च न्यायालय को प्राधिकरण के लिए अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था। किस सजा की जरूरत थी? अधिरोपित किया जाना, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एक ऐसा मामला था जो विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र के भीतर आता था

सक्षम प्राधिकारी और उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप

दंड के निष्कर्ष को बिना ध्यान में रखे अनुपातहीन होने के लिए दर्ज करते समय एक घुड़सवार तरीके से है प्रतिवादी द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता जो अक्षम्य है और कानून में टिकाऊ नहीं है। [पैरा 26] [316 एफ-जी]

1.9 तत्काल मामले में, मामूली दंड के लिए बल के सदस्यों के अनुशासनात्मक मामलों को इसके तहत नियंत्रित किया जा रहा है अधिनियम 1949 की धारा 11 और यदि अधिक जघन्य [2021] की कोई प्रकृति है तो 7 एस. सी. आर.

यदि अपराध/कम जघन्य अपराध किया जाता है, यदि साबित हो जाता है, तो बल का सदस्य अधिनियम 1949 की धारा 9 और धारा 10 के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास के लिए दंडनीय होगा और साथ ही, बर्खास्तगी और सेवा से हटाने को अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) से परिलक्षित मामूली दंड माना जा रहा है। यदि आरोप सिद्ध पाया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी इनमें से किसी एक या अधिक के निलंबन या बर्खास्तगी के बदले में पुरस्कार दे सकता है। बल के किसी सदस्य को दंड जिसे वह अवज्ञा, उपेक्षा या कर्तव्य, या किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही या क्वार्टर में कारावास के साथ अन्य कदाचार का दोषी मानता है-अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) के खंड (डी) और (ई) के तहत संकेत के अनुसार गार्ड या निष्कासन। [पैरा 28] [317-जी-एच; 318-ए बी]

1.10 अधिनियम 1949 की योजना, जिसका संदर्भ दिया गया है, की उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और

सिविल सेवक के कदाचार की जांच के मानकों को ध्यान में रखते हुए, सजा की मात्रा में हस्तक्षेप किया गया है जो अनुशासन बल के सदस्य पर लागू नहीं हो सकता है और तत्काल मामले में सजा को प्रतिस्थापित करने में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप अस्थिर है और इसे दरकिनार कर दिया गया है।

[पैरा 29] [318-बी-डी]

भारत संघ और अन्य बनाम। गुलाम मोहम्मद। भाटिया।

(2005) 13 एससीसी 228: [2005] 4 पूरक। एससीआर 367; बी. सी. चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य (1995) 6 एस. सी. सी. 749 [1995] 4 पूरक। एस. सी. आर. 644; लखनऊ क्षेत्रीय

ग्रामीण बैंक (अब इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ग्रामीण)

बैंक) और एक अन्य वी। राजेन्द्र सिंह (2013) 12 एस. सी. सी. 372 [2013] 17 एस. सी. आर. 309-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 4 पूरक। एससीआर 367

संदर्भित किया गया है

पै

रा 11

[1995] 4 पूरक। एससीआर 644

संदर्भित किया गया है

पै

रा 24

[2013] 17 एससीआर 309

संदर्भित किया गया है

पैरा 25 भारत और ओआरएस का संघ। वी. पूर्व. स्थिर राम करण

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.6723

2021 .

सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, सुश्री मंजुला गुप्ता, बालाजी श्रीनिवासन, आयुष पुरी, बीवी बलराम दास, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। अशोक अग्रवाल, सुश्री श्रीदेवी पणिक्कर, सुश्री अदिति सारस्वत, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. भारत संघ ने तत्काल अपील में फैसले को चुनौती दी है

और दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश केंद्र के नियम 27 के तहत अनुशासनात्मक जांच करने के बाद प्रतिवादी को सेवा से हटाने के जुर्माने को प्रतिस्थापित करना।

रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 (इसके बाद "नियम 1955" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) जिसमें प्रतिवादी को क्वार्टर गार्ड जेल में दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे तक कैद रखा गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के तहत संकेतित दंड (इसके बाद "अधिनियम 1949" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)।

3. रिकॉर्ड से निकाले गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ सेवा में शामिल हुआ था।

वर्ष 1983 में वह सी. आर. पी. एफ. के ग्रुप सेंटर में अटैचमेंट ड्यूटी पर थे। 2003 में उनकी पत्नी का इलाज स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नजीर के पास चल रहा था। (शिकायतकर्ता)। 12 सितंबर 2003 को प्रतिवादी अपनी पत्नी के साथ जबरन डॉ. नजीर के कक्ष में घुस गया।

शिकायतकर्ता और उसे चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति को प्रमाणित करने के लिए कहा और उसके इनकार करने पर, प्रतिवादी ने मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया और डॉक्टर-शिकायतकर्ता को शारीरिक रूप से मारा, जिसके परिणामस्वरूप चोटें आईं। उन्हें सिपाही सुरेश द्वारा बाहर निकाला गया, जिन्होंने प्रतिवादी और उसकी पत्नी के आचरण को भी देखा। प्रतिवादी ने न केवल ड्यूटी के दौरान डॉक्टर-शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार किया, जिसमें उसके चेहरे पर चोटें आईं, बल्कि अपने दुर्व्यवहार को छिपाने के लिए उसने डॉक्टर-शिकायतकर्ता के खिलाफ अपनी पत्नी पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया। इस तरह के घोर कदाचार के लिए, जो उन्होंने सेवा में रहते हुए किया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया था और 29 अक्टूबर, 2003 [2021] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम 1955 के नियम 27 के तहत अनुशासनात्मक जांच करने के लिए आया

उस पर (i) नियम 1955 की धारा 11 (1) का उल्लंघन, सरकारी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर-शिकायतकर्ता के साथ दुर्व्यवहार करने और दुर्व्यवहार करने और घायल करने के लिए; और (ii) डॉक्टर-शिकायतकर्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न के झूठे आपराधिक आरोप लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। विवरण के साथ आरोप ज्ञापन के आरोप 1 और आरोप 2 के अनुच्छेद को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" लेख I

120 बीएन के कांस्टेबल ड्राइवर No.961340413 राम करण

कांस्टेबल के पद पर रहते हुए 12.9.03 पर बल के सदस्य होने के नाते 12.00 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के आसपास नियम 11 (1) का उल्लंघन किया है जो आधिकारिक ड्यूटी पर थे। राम करण ने दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार किया जिसके कारण बस की बाईं आंख के पास उन्हें चोटें आईं। अधिनियम के तहत दंडनीय है।

अनुच्छेद II

सिपाही चालक राम करण 120 बी. एन. ने सितंबर 2003 के महीने में पिंजौर में सिपाही/चालक के रूप में तैनात रहते हुए सी. आर. पी. एफ. नियम 1949 के नियम 11 (1) का उल्लंघन किया है क्योंकि बल के सदस्य ने डॉक्टर अब्दुल नायर के साथ दुर्व्यवहार किया था और उसे गाली दी थी कि डॉक्टर ने अपनी पत्नी सविता देवी के साथ दुर्व्यवहार किया था, जो अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई थी, जिसने उक्त नियमों का उल्लंघन किया था।

विवरण

" उक्त सिपाही/ड्राइवर रेन करण ने 10.3.03 से 26.9.03 पिंजौर में तैनात किया था। कॉन्सटेंट/ड्राइवर की पत्नी का इलाज वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. नजीर ने 11.9.03 पर किया था और उन्होंने अपना मामला विचार के लिए रखा है। श्रीमती. सविता दिनांकित 12.9.03 लगभग 11.15 कैश मेमो No.2137 दिनांकित 11.9.03 के साथ डॉ. नजीर से मिलने गई है, वह उस कमरे से निकल गई कि उसका पति उसे सबक सिखाने जा रहा है। लगभग आई. डी. 1.....

उक्त दुर्व्यवहार की सूचना डॉ. अब्दुल नजीर ने अब्दुल नजीर की कार्रवाई की शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारी पिंजौर को दी थी।
कॉन्ट के खिलाफ लिया गया था। राम करण और उसी दिन निलंबित कर दिया गया। आम जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए उन्होंने डॉ. नजीर के खिलाफ अपनी पत्नी के यौन शोषण का झूठा आरोप लगाया।

कॉन्स्ट के अनुसार। राम करण उनकी पत्नी सविता के अधीन थे। डॉ. अब्दुल नजीर का इलाज किया गया और जाँच के लिए गए थे। जाँच के दौरान डॉ. नज़ीर ने उसका यौन शोषण किया और मदद के लिए उसके पति को बुलाने पर जब उसका पति कमरे में घुसा तो डॉक्टर ने उसकी पिटाई कर दी।

अतः कॉन्ट। /ड्राइवर राम करण ने लगाए हैं झूठे आरोप

डॉ. नजीर के खिलाफ अपनी पत्नी सविता के यौन शोषण का मामला। ऐसा करने का उनका एकमात्र उद्देश्य खुद को चोट से बचाना और जनता की सहानुभूति प्राप्त करना था, हालांकि 12.9.03 पर लगभग 12.00 पर गवाहों के अनुसार वह अपनी पत्नी के साथ डॉक्टर के कमरे में प्रवेश कर चुके हैं।

4. अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा नियम 1955 के नियम 27 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में विभागीय जांच की गई थी और सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने पाया कि दोनों आरोप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उचित अनुपालन के बाद उनके खिलाफ साबित हुए और उन आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जो साबित हुए और अन्य सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक आदेश द्वारा सेवा से हटाने के दंड के साथ दंडित किया गया।

दिनांक 14 जुलाई, 2004।

5. अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 14 जुलाई, 2004 के आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील को 3 जनवरी, 2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और पुनरीक्षण याचिका को भी पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर, 2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। सेवा से हटाने का जुर्माना और अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित परिणामी आदेश प्रत्यर्थी के कहने पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती का विषय था।

6. अभिलेख पर तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने 11 फरवरी, 2016 के अपने विवादित फैसले के तहत उन आरोपों को बरकरार रखा जो जांच के दौरान अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा साबित किए गए थे। हालांकि, प्रतिस्थापित

न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने का दंड दिया गया और एक निष्कर्ष दर्ज किया गया कि साबित होने वाले आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, सेवा से हटाने की सजा प्रत्यर्थी को दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे तक क्वार्टर गार्ड जेल में कैद करने के लिए साबित कदाचार के अनुपात में नहीं है, जो उसके [2021] 7 एस. सी. आर. के लिए आगे के निर्देश के साथ पर्याप्त सजा है।

गणना के प्रयोजनों के लिए कानून के तहत उसके लिए स्वीकार्य वेतन और अन्य की पात्रता के साथ तत्काल प्रभाव से अनुदान

अन्य लाभ। विवादित फैसले का प्रासंगिक पैरास

11 फरवरी, 2016 इस प्रकार हैः

" 19. पीडब्लू-5 सुरेश के साक्ष्य से पता चलता है कि प्रवेश करने पर डॉ. नजीर के कमरे में, उन्होंने डॉक्टर और अपीलार्थी दोनों को एक-दूसरे के साथ हाथापाई करते देखा और उनके हस्तक्षेप से वे अलग हो गए। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अपीलार्थी ने पूर्व-ध्यानपूर्वक कार्य किया था या पूरी योजना बनाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह घटना पल भर में हुई थी। हालाँकि अदालत परिस्थिति के बारे में निश्चित नहीं हो सकती है, फिर भी इस बारे में एक उचित संदेह हो सकता है कि क्या याचिकाकर्ता की पत्नी से डॉ. नज़ीर द्वारा कुछ कहा गया था, जिसके कारण

20. इस मामले की परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सेवा से हटाने का जुर्माना, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता के पास 11 साल की पिछली सेवा का स्पष्ट रिकॉर्ड है, साबित आरोपों के अनुपात में नहीं है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, हम महसूस करते हैं कि याचिकाकर्ता को दोपहर 1 बजे से दोपहर 1 बजे तक क्वार्टर गार्ड जेल में कैद रखना पर्याप्त सजा थी। हम तदनुसार बहाली का आदेश देते हैं तत्काल प्रभाव से याचिकाकर्ता। प्रत्यर्थियों को बर्खास्तगी की तारीख से लेकर बहाली तक की अवधि को कानून के प्रावधानों के अनुसार मानने का भी निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता भी हकदार है

वेतन और कानून में स्वीकार्य अन्य लाभ। उस पर विचार किया जाएगा

की गणना के उद्देश्य से इस अवधि के दौरान कर्तव्य पर

पेंशन लाभ। याचिका को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई है। कोई लागत नहीं। ' " "

7. इस न्यायालय ने 18 मई, 2016 के एक आदेश द्वारा नोटिस जारी करते हुए दिनांकित विवादित फैसले के अमल पर रोक लगा दी।

फरवरी, 2016।

भारत और ओआरएस का संघ। वी. पूर्व. स्थिर राम करण [रस्तोगी, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा के अपने सीमित दायरे के तहत न्यायालय न्यायिक विवेक का स्पष्ट दुरुपयोग है और ऐसा घोर कदाचार जो प्रतिवादी द्वारा सीआरपीएफ में अनुशासन बल के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए किया गया था, किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं था। 9. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अधिनियम 1949 की योजना की धारा 11 की उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उस में

धारा 11 की शर्तों के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी निलंबन या बर्खास्तगी के बदले या उसके अतिरिक्त, अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के खंड (डी) और (ई) के तहत निर्दिष्ट क्वार्टर गार्ड जेल में कारावास या हटाने सहित किसी भी एक या अधिक दंड का आदेश दे सकता है। 10. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय अपनी धारणा पर आगे बढ़ा है जैसे कि यह आपराधिक मुकदमे का मामला हो।

जहाँ घटना को माफ किया जा सकता है यदि यह पूर्व-ध्यान के बिना किया गया है या पल भर में हुआ है। यह सिद्धांत विभागीय जांच के मामले में लागू नहीं हो सकता है और दी गई परिस्थितियों में, 11 फरवरी 2016 के विवादित फैसले के तहत सजा को प्रतिस्थापित करने में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप कानून में अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

11. उसकी प्रस्तुति के समर्थन में, विद्वान वकील ने भारत संघ और अन्य बनाम गुलाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है।

मोहम्मद. भाटिया। 1.

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री अशोक अग्रवाल ने उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए

विवादित निर्णय में कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने उस समय तक 11 साल की बेदाग सेवा प्रदान की थी और वह डॉ. नजीर-शिकायतकर्ता के प्रति पूरा सम्मान और सम्मान रखता था, लेकिन दिए गए समय में पैदा की गई परिस्थितियां ऐसी थीं जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं और उच्च न्यायालय ने न केवल 11 साल की बेदाग सेवा पर ध्यान दिया है, बल्कि सेवा से हटाने की सजा को अभिनिर्धारित करते हुए विचाराधीन तथ्यों की समग्रता पर भी ध्यान दिया है, जो साबित किए गए आरोपों से असंगत हैं।

उसके खिलाफ और विवादित फैसले में उच्च न्यायालय द्वारा जिस पर विचार किया गया है, वह न केवल सजा को प्रतिस्थापित करना है, बल्कि प्रतिवादी और उसके परिवार के अधिकारों की रक्षा करना और उसकी आजीविका को बचाना है और

2005 (13) एस. सी. सी. 228।

प्रस्तुत करता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के तहत न्याय किया गया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

14. बल के सदस्य की सेवा शर्तों को अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। धारा 9 और धारा 10 "अधिक जघन्य अपराधों/कम जघन्य अपराधों" की प्रकृति प्रदान करती है। अधिक जघन्य अपराधों/कम जघन्य अपराधों के लिए दंड की प्रकृति भी प्रदान की गई है, यदि बल के सदस्य के खिलाफ साबित होता है तो अधिनियम की योजना के तहत प्रदान की गई अवधि के लिए कारावास के रूप में है। साथ ही, अधिनियम 1949 की धारा 11 के तहत मामूली दंडों की प्रकृति और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकरण को नियमों के नियम 27 के तहत निर्धारित किया गया है।

1955. प्रासंगिक पैरास निम्नानुसार हैं:

" धारा 11. छोटी-मोटी सजाएँ। – (1) कमांडेंट या कोई अन्य प्राधिकरण या अधिकारी, जैसा कि निर्धारित किया जाए, इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, इसके बदले में या इसके अलावा,

निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक का निलंबन या बर्खास्तगी

बल के किसी भी सदस्य को दंड जिसे वह मानता है

अवज्ञा, कर्तव्य की उपेक्षा, या किसी भी कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही या बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में अन्य कदाचार का दोषी होना, अर्थात -

(क) पद में कमी;
(ख) किसी भी राशि का जुर्माना जो एक महीने के वेतन से अधिक न हो और

भत्ते;

(ग) क्वार्टरों, लाइनों या शिविरों में अधिकतम अवधि के लिए कारावास

एक महीना;

(घ) क्वार्टर में कारावास-बीस से अधिक के लिए गार्ड नहीं

आठ दिन, सजा ड्रिल या अतिरिक्त गार्ड, थकान या अन्य कर्तव्य के साथ या उसके बिना; और

(ई) विशिष्टता या विशेष परिलब्धि के किसी भी पद से निष्कासन

बल में।

" नियम 27. सजा देने की प्रक्रिया। - (क) एन. आई. ओ. एन. ऑफ इंडिया एंड ओ. आर. एस. तालिका के कॉलम 2 में आइटम 1 से 11 के रूप में दिखाए गए दंड।

वी. पूर्व. स्थिर राम करण [रस्तोगी, जे.]

नीचे वह प्रभावित कर सकता है या गैर-राजपत्रित अधिकारियों और पुरुषों के

3 से 6 तक के स्तंभों के शीर्षकों में से प्रत्येक में दिखाई गई विभिन्न श्रेणियाँ

शर्तों के तहत ऐसे शीर्षकों के नीचे नामित अधिकारी

स्तम्भ 7 में उल्लिखित है।

तालिका

इसके अलावा अन्य

सूबेदार

उप.

कॉन्स्ट और टिप्पणियां

एस. आई. सजा।

(इंस्पेक्टर) इंस्पेक्टर कॉन्सटेंट और

पंजीकृत

नहीं।

अनुयायी

पंजीकृत

अनुयायी

1 2

3

4

5

6

7

कॉमडेट।

डी. आई. जी. पी

कॉमडेट।

लगाया जाना है।

1 . बर्खास्तगी

या डी. आई. जी. पी.

औपचारिक होने के बाद

से हटाना

विभागीय

बल

पूछताछ की।

2 .

3 .

4 .

एफवाई।

कॉमडेट।

लगाया जाना है।

6 . में बंदी

औपचारिक होने के बाद

तिमाही

गार्ड

विभागीय

सात से अधिक

दिन हैं लेकिन अधिक नहीं

पूछताछ की।

बिना सजा के

ड्रिल या अतिरिक्त गार्ड

थकान या अन्य

कर्तव्य।

7 .

.....

.....

.....

8 . किसी से भी हटाना। डी. आई. जी. पी.

कॉमडेट।

कॉमडेट।

डी. आई. जी. पी

मई

बनो।

थोपा

गया

विशिष्टता का कार्यालय

विशेष

बिना

ए

या

औपचारि

क

में वेतन

विभागीय

बल प्रयोग करें।

पूछताछ

की।

9 .

कॉमडेट।

10 . के लिए बंदी

क्वार्टर गार्ड के लिए इससे अधिक नहीं

बिना सजा के या अतिरिक्त गार्ड

थकान या अन्य

कर्तव्य।

11 .

नोट करें। - 1. जब उप महानिरीक्षक का पद बना रहता है एक समय में एक महीने से अधिक की अवधि के लिए खाली कमांडेंट

सूबेदारों (निरीक्षकों) को दंडित करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा। और उप-निरीक्षकों को बर्खास्तगी का आदेश देने की शक्तियों को छोड़कर या

बल से हटाना। नोट करें। - 2. जब कमांडेंट का पद एक के लिए खाली रहता है

पदधारी के परिणामस्वरूप एक समय में एक महीने से अधिक की अवधि छुट्टी पर या अन्यथा आगे बढ़ते हुए, सहायक कमांडेंट [2021] 7 एस. सी. आर.

बर्खास्तगी या बल से हटाने का आदेश देने की शक्तियों को छोड़कर, कमांडेंट में निहित सजा की शक्तियों का प्रयोग करें।

व्याख्याः - (क) बल के सदस्य की बर्खास्तगी उसे सरकारी सेवा में फिर से नियुक्त होने से रोकती है, जबकि बल से ऐसे किसी भी सदस्य को हटाना सरकार के तहत भविष्य में किसी भी रोजगार (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में रोजगार के अलावा) के लिए अयोग्यता नहीं होगी।

(ख) जब राजपत्रित अधिकारियों या विभिन्न रैंकों के लोगों को किसी अपराध के लिए दंडित किया जाना है, तो खंड (क) के तहत यदि आवश्यक हो तो विभागीय जांच कमांडेंट या अन्य वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कमांडेंट के आदेशों के तहत की जाएगी, बशर्ते कि जब आरोप सूबेदार (निरीक्षक) या उप-निरीक्षक के रैंक के अधिकारी के खिलाफ हो तो जांच उप महानिरीक्षक द्वारा इस उद्देश्य के लिए नामित किए जाने वाले प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।

जहाँ एक सूबेदार (निरीक्षक) या एक उप-निरीक्षक के मामले में जांच करने वाला अधिकारी मानता है कि इसके तहत एक सजा

तालिका के आइटम (1) से (5) और (7) के लिए कहा जाता है, वह विभागीय कार्यवाही को पूरा करेगा और उसे डिप्टी को भेजेगा। आदेश के लिए महानिरीक्षक। (जीएसआर 631 दिनांकित 27.8.1983)

(ग) विभागीय जांच करने की प्रक्रिया इस प्रकार होगीः (1) आरोप का सार एक लिखित आरोप के रूप में कम किया जाएगा, जो यथासंभव सटीक होना चाहिए।

आरोप को अभियुक्त को पढ़ा दिया जाएगा और इसकी एक प्रति उसे कम से कम 48 घंटे में दी जाएगी। शुरू होने से पहले

पूछताछ की।

(2) जाँच शुरू होते ही अभियुक्त को "दोषी" या "दोषी नहीं" की याचिका दायर करने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे। साक्ष्य आरोप के लिए सामग्री होगी और मौखिक या दस्तावेजी हो सकती है, यदि मौखिक होः

((i) यह प्रत्यक्ष होगाः (11) यह जाँच करने वाले अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाएगा।

स्वयं अभियुक्त की उपस्थिति मेंः

भारत और ओआरएस का संघ। वी. पूर्व. स्थिर राम करण [रस्तोगी, जे.]

((ग) अभियुक्त को गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जाएगी।

15. अधिनियम 1949 की धारा 11 की योजना में आदेश दिया गया है कि सक्षम प्राधिकारी, उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन,

यदि बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में कदाचार का दोषी पाया जाता है तो किसी एक या अधिक दंड को निलंबित या बर्खास्त करना।

16. निलंबन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त 'शब्दों का उपयोग या

धारा 11 (1) में दिखाई देने वाली 'बर्खास्तगी' स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उसमें उल्लिखित अधिकारियों को निलंबन की सजा देने का अधिकार है।

या बल के सदस्य को बर्खास्त करना जो दोषी पाया जाता है और इसके अलावा, या उसके बदले में, खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित दंड भी दिया जा सकता है।

17. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिक जघन्य अपराध या कम जघन्य अपराध कारावास की सजा का प्रावधान करते हैं यदि सदस्य

बल को दोषी पाया जाता है। साथ ही, धारा 11 स्पष्ट और असंदिग्ध है और उन मामूली दंडों को निर्धारित करती है जो सक्षम प्राधिकारी सदस्य को किसी एक या अधिक दंड के निलंबन या बर्खास्तगी के बदले या उसके अतिरिक्त विभागीय जांच में दे सकते हैं।

अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) के खंड (ए) से (ई) के तहत निर्दिष्ट बल का, भले ही सदस्य पर किसी अपराध के लिए मुकदमा न चलाया गया हो।

अधिनियम की धारा 9 या धारा 10 के तहत।

(केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में रोजगार के अलावा) सरकार के अधीन। 19. तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों [2021] 7 एस. सी. आर. के बाद सेवा से हटाने के दंड के साथ दंडित किया गया है।

नियम 1955 के नियम 27 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से गुजरने के बाद उनके खिलाफ आयोजित विभागीय जांच में अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा साबित किया गया। सेवा से हटाने की मामूली सजा की ऐसी प्रकृति बर्खास्तगी के अलावा हो सकती है जैसा कि अधिनियम 1949 की धारा 11 के तहत प्रदान किया जा रहा है। 20. अधिनियम 1949 की धारा 11 की उच्च न्यायालय द्वारा इस बात की जांच करते हुए पूरी तरह से अनदेखी की गई है कि क्या

यदि अनुशासनात्मक जाँच के दौरान और विवादित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद कदाचार साबित हो जाता है, तो बल के सदस्य को सेवा से बर्खास्त करने के बदले या उसके अलावा सेवा से हटाया जा सकता है।

21. प्रतिवादी के खिलाफ आरोपों की प्रकृति वास्तव में गंभीर प्रकृति की है क्योंकि प्रतिवादी ने न केवल डॉक्टर को धमकी दी थी शिकायतकर्ता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार किया और उसे घायल कर दिया और उसके खिलाफ अपनी पत्नी के साथ यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए। कदाचार की ऐसी प्रकृति जो प्रतिवादी द्वारा एक बार साबित होने के बाद की गई है, अक्षम्य है और यदि प्राधिकरण ने उसे 14 जुलाई 2004 के आदेश द्वारा सेवा से हटाने के दंड के साथ दंडित करना उचित समझा है और अपीलीय/पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई है और उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में सेवा में प्रतिधारण के लिए कोई सहानुभूति नहीं छोड़ता है और वह भी सीआरपीएफ जैसे अनुशासन बल में।

22. कानून का अच्छी तरह से अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण, या अपील में अपीलीय प्राधिकरण है, जो निर्णय लेना है

अपराधी कर्मचारी को दी जाने वाली सजा की प्रकृति। ऐसे कर्मचारी द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए,

न्यायालयों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के कार्य को ग्रहण करना और हड़पना खुला नहीं है।

23. यहां तक कि उन मामलों में भी जहां अनुशासन द्वारा दी गई सजा

प्राधिकरण को न्यायालय की अंतरात्मा के लिए चौंकाने वाला पाया जाता है, आम तौर पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण को जुर्माना लगाने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। सजा की मात्रा पर न्यायिक समीक्षा का दायरा उपलब्ध है लेकिन सीमित दायरे के साथ। यह तभी होता है जब लगाया गया जुर्माना कदाचार की प्रकृति के लिए आश्चर्यजनक रूप से असमान प्रतीत होता है जिसे अदालतें नापसंद करती हैं। ऐसे मामले में भी, दंड आदेश को रद्द करने के बाद, यह निर्णय लेने के लिए अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाता है और यह भारत और ओआरएस के संघ के लिए नहीं है।

वी. पूर्व. स्थिर राम करण

[आरएएसटीओजी, जे।]

न्यायालय के मात्रा निर्धारित करके अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करने के लिए

सजा। हालांकि, यह केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में है जहां अदालत मुकदमेबाजी को छोटा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई सजा के स्थान पर सजा की मात्रा के बारे में अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित करने के बारे में सोच सकती है, वह भी ठोस कारण निर्धारित करने के बाद।

24. इन सिद्धांतों को इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने काफी पहले बी. सी. चतुर्वेदी बनाम मामले में तैयार किया था। भारत संघ और अन्य 2 जिसमें इसे निम्नानुसार देखा गया थाः

" 18. उपरोक्त कानूनी स्थिति की समीक्षा से यह स्थापित होगा कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण और अपील करने पर अपीलीय प्राधिकरण, तथ्य खोजने वाले अधिकारियों के पास अनुशासन बनाए रखने की दृष्टि से साक्ष्य पर विचार करने की विशेष शक्ति है। उन्हें उचित सजा देने के विवेक के साथ निवेश किया जाता है। दुराचार के परिमाण या
गंभीरता को देखें। उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऐसा नहीं कर सकता है

आम तौर पर दंड पर अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करते हैं और कुछ अन्य दंड लगाते हैं। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित दंड व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर देता है।

उच्च न्यायालय/न्यायाधिकरण, यह उचित रूप से राहत को ढालेगा, या तो अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकरण को इस पर पुनर्विचार करने का निर्देश देगा अधिरोपित दंड, या मुकदमेबाजी को छोटा करने के लिए, यह स्वयं, असाधारण और दुर्लभ मामलों में, के साथ उचित सजा दे सकता हैः

इसके समर्थन में ठोस कारण "।

25. इस न्यायालय द्वारा लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अब इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ग्रामीण) में इसकी आगे जांच की गई है।

बैंक) और एक अन्य बनाम राजेंद्र सिंह 3 निम्नानुसारः

" 19. ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांतों का सारांश दिया जा सकता है और

संक्षेप में इस प्रकार हैः

19.1 . जब किसी जांच में कदाचार के आरोप साबित हो जाते हैं तो

किसी विशेष मामले में दी जाने वाली सजा की मात्रा है -

अनिवार्य रूप से विभागीय प्राधिकरणों का क्षेत्र।

19.2 . अदालतें अनुशासनात्मक/विभागीय अधिकारियों के कार्य को ग्रहण नहीं कर सकती हैं और सजा की मात्रा और दिए जाने वाले दंड की प्रकृति का निर्णय नहीं कर सकती हैं, क्योंकि यह कार्य विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है।

2 1995 (6) एससीसी 749

3 3 (2013) 12 एससीसी 372 [2021] 7 एस. सी. आर.

19.3 . अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड में हस्तक्षेप करने के लिए सीमित न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है, केवल उन मामलों में जहां इस तरह का दंड विवेक के लिए चौंकाने वाला पाया जाता है। अदालत।

19.4 . ऐसे मामले में भी जब सजा को अपराधी कर्मचारी के खिलाफ बनाए गए आरोपों की प्रकृति के लिए आश्चर्यजनक रूप से असमान के रूप में अलग रखा जाता है, तो कार्रवाई का उचित तरीका यह है कि मामले को अनुशासनात्मक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेज दिया जाए ताकि दंड का उचित आदेश पारित किया जा सके। अदालत अपने आप में यह आदेश नहीं दे सकती कि किस मामले में जुर्माना होना चाहिए।

ऐसा मामला।

19.5 . ऊपर पैरा 19.4 में बताए गए सिद्धांत का एकमात्र अपवाद उन मामलों में होगा जहां सह-अपराधी को अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा कम सजा दी जाती है, भले ही दुराचार के आरोप समान हों या सह-अपराधी पर अधिक गंभीर आरोप लगाए गए हों। यह समानता के सिद्धांत पर होगा जब यह पाया जाएगा कि संबंधित कर्मचारी और सह-अपराधी को समान रूप से रखा गया है। तथापि, दोनों मामलों में न केवल प्रभार की प्रकृति के संबंध में बल्कि बाद के आचरण के साथ-साथ आरोप पत्र की तामील के बाद भी दोनों के बीच पूर्ण समानता होनी चाहिए। यदि सह-अपराधी आरोपों को स्वीकार करता है, अयोग्य माफी के साथ पश्चाताप का संकेत देता है, तो कम सजा वह न्यायसंगत होगा। "

26. तत्काल मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय, हमारे सुविचारित विचार में, सजा में हस्तक्षेप करने में गलती कर गया, जिसे विभागीय अधिकारियों द्वारा उसके सिद्ध कदाचार के लिए कानूनी रूप से लगाया जा सकता था। उच्च न्यायालय को प्राधिकरण के लिए अपने विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में किस सजा की आवश्यकता थी, यह एक ऐसा मामला था जो विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता था और उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कदाचार की गंभीरता को ध्यान में रखे बिना दंड के निष्कर्ष को असमान रूप से दर्ज करते समय एक बेपरवाह तरीके से होता है जो अक्षम्य है और कानून में टिकाऊ नहीं है।

27. इससे पहले कि हम निष्कर्ष निकाल सकें, हम यह देखना चाहेंगे कि जो कर्मचारी सिविल सेवाओं में हैं, उनके अनुशासनात्मक मामलों को उनकी संबंधित सेवाओं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है और उदाहरण के लिए, हम भारत और ओआरएस के केंद्रीय नागरिक संघ पर ध्यान देते हैं।

वी. पूर्व. स्थिर राम करण [रस्तोगी, जे.]

सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 (इसके बाद "नियम 1965" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)। दंड की प्रकृति भाग V के तहत प्रदान की गई है और सेवा से हटाने और बर्खास्तगी में हैं "प्रमुख दंड" की श्रेणी। यदि दुराचार साबित पाया जाता है, तो दुराचार की गंभीरता और प्रकृति को देखते हुए, दंड में से कोई भी, यानी सेवा से हटाने या बर्खास्तगी, सिविल सेवक को अनुशासनात्मक जांच करने के बाद लगाया जा सकता है, यदि उसे दोषी ठहराया जाता है, जैसा कि नियम 1965 के भाग IV के तहत प्रावधान किया गया है और इसे सामान्य रूप से समझा जा रहा है। नियम 1965 की योजना के तहत निम्नलिखित दंड, अच्छे और पर्याप्त कारणों से और इसके बाद दिए गए प्रावधानों के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं, अर्थात्:

" मामूली दंड

संपीड़न;

((i) (
(ख)

(iii)

(आईआईए)..

((iv) वेतन वृद्धि को रोकना;

मेजर

दंडः

(9) 3) ((vi) () D (vii) () (viii) (8 () ix)

अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

सेवा से हटाना, जो सरकार के तहत भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी; सेवा से बर्खास्तगी जो आम तौर पर भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता होगी

सरकार।

28. तत्काल मामले में, मामूली दंड के लिए बल के सदस्यों के अनुशासनात्मक मामलों को धारा 11 के तहत नियंत्रित किया जा रहा है।

अधिनियम 1949 और यदि अधिक जघन्य अपराध/कम जघन्य अपराध की कोई प्रकृति की जाती है, यदि यह साबित हो जाता है, तो बल का सदस्य अधिनियम 1949 की धारा 9 और धारा 10 के तहत निर्दिष्ट अवधि के लिए कारावास के लिए दंडनीय होगा और साथ ही, बर्खास्तगी और [2021] 7 एस. सी. आर.

सेवा से हटाने को अधिनियम 1949 की धारा 11 (1) से परिलक्षित मामूली दंड माना जा रहा है। यदि आरोप है

सिद्ध पाए जाने पर, सक्षम प्राधिकारी बल के किसी सदस्य को, जिसे वह अवज्ञा, उपेक्षा या उपेक्षा का दोषी मानता है, किसी एक या अधिक दंड के बदले में या उसके अतिरिक्त निलंबन या बर्खास्तगी दे सकता है।

29. अधिनियम 1949 की योजना, जिसका संदर्भ दिया गया है, की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई थी और एक दीवानी के कदाचार की जांच के मानकों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा, सजा की मात्रा में हस्तक्षेप किया गया है जो अनुशासन बल के सदस्य पर लागू नहीं हो सकता है और हमारे विचार में, तत्काल मामले में सजा को प्रतिस्थापित करने में उच्च न्यायालय द्वारा किया गया हस्तक्षेप अस्थिर है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

30. नतीजतन, अपील सफल हो जाती है और इसकी अनुमति दी जाती है। द.

दिल्ली उच्च न्यायालय के 11 फरवरी 2016 के विवादित फैसले को रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है। कोई लागत नहीं।

31. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन